

सत्यमेव जयते

# भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

(सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)

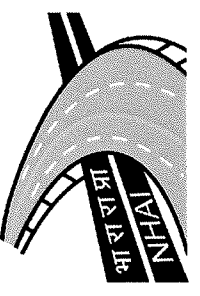
## National Highways Authority of India

(Ministry of Road Transport and Highways, Govt. of India)

क्षेत्रीय कार्यालय - शिमला, हाउस नं. 1, ऋषिकेश सदन, चक्कर, शिमला (हि.प्र.), फोन : 0177-2830419

Regional Office-Shimla, House No. 1, Rishikesh Sadan, Chakkar, Shimla (HP)-171005, Ph: 0177-2830419

Email: rohimachalpradesh@nhai.org & ronhaihp@gamil.com



NHA/RO/HP/11011/95/Tender/2024-25/05A/406

30 June, 2024

### कार्यालय आदेश

**Sub: Short Terms Improvement and Routine Maintenance with provision of Incident Management System Services on Kullu-Manali section of NH-21 (New NH-03) from km. 272.000 to km. 309.345 (Design Chainage) in the state of Himachal Pradesh. (2<sup>nd</sup> Call).**

संबंधित कार्य के लिए तकनीकी और वित्तीय निविदाओं को खोलने और मूल्यांकन करने के लिए निम्नलिखित मूल्यांकन समिति का गठन किया गया है।

| क्रमांक | विवरण                 | पदनाम                                                                                      | टिप्पणी |
|---------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 1.      | श्री वरुण चारी        | परियोजना निर्देशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, परियोजना कार्यान्वयन इकाई: मंडी    | संयोजक  |
| 2.      | श्री विक्रम सिंह मीना | परियोजना निर्देशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, परियोजना कार्यान्वयन इकाई: हमीरपुर | सदस्य   |
| 3.      | श्री अन्तरिक्ष ठाकुर  | उप प्रबंधक (तकनीकी), भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, क्षेत्रीय कार्यालय- शिमला        | सदस्य   |
| 4.      | श्री शेख फखरुद्दीन    | प्रमुख (वित्त एवं लेखा) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, क्षेत्रीय कार्यालय- शिमला     | सदस्य   |

2. उपरोक्त कार्य के लिए दिनांक 11.06.2024 (समय 11:00 AM) को तकनीकी निविदाएं खोलने और मूल्यांकन के लिए मूल्यांकन समिति की बैठक निर्धारित है।

3. अनुरोध है की बैठक में भाग लेने की कृपा करें।

  
(अब्दुल बासित)  
क्षेत्रीय अधिकारी - शिमला (हि. प्र.)  
-sm-

प्रतिलिपि :-

1. समस्त समिति सदस्य।
2. कार्यालय आदेश फाइल और संबंधित फाइल।